

सराहनीय कार्य – 2

थाना बबीना पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

आज दि० 29.05.2021 को श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश पर थाना क्षेत्र में अवैध कच्ची शराब , ओपी शराब का दविश व चैकिंग शराब के ठेके के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण विन्दुवार निम्नलिखित है ।

- टीम प्रथम- आज दिनांक 29.05.2021 को चौकी प्रभारी भेल मय हमराही कर्म०गण के अभियान के दौरान ग्राम चमरौआ कबूतरा डेरा चौकी भेल क्षेत्र मे दविश के दौरान अभियुक्ता ललिता कबूतरी पत्नी सुमित कबूतरा के कब्जे से 105 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होना जिसके सम्बन्ध मे थाना बबीना पर मु०अ०स० 120/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम को अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

अभियुक्ता का नाम पता –

1. ललिता कबूतरी पुत्नी सुमित कबूतरा उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम दातार नगर परवई थाना रक्सा जनपद झांसी ।

- टीम प्रथम- आज दिनांक 29.05.2021 को थाना हाजा से उ०नि० श्री कुलदीप सोनकर मय मय हमराही कर्म०गण के अभियान के दौरान ग्राम प्रथ्वीपुर नया खेडा कबूतरा डेरा पर दविश के दौरान अभियुक्ता रविता कबूतरी पत्नी बाबू कबूतरा के डेरा से 150 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद होना तथा 10 ड्रमो से मौके पर 2000 लीटर लहन नष्ट किया गया । जिसके सम्बन्ध में थाना हाजा पर मु०अ०स० 121/2021 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी ।

अभियुक्ता का नाम पता –

1. रविता कबूतरी पत्नी बाबू कबूतरा उम्र करीब 35 वर्ष निवासी प्रथ्वीपुर नया खेडा कबूतरा डेरा थाना बबीना जनपद झाँसी ।

सराहनीय कार्य – 3

थाना उल्दन पुलिस द्वारा अवैध शराब के विरुद्ध कार्यवाही

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी श्री रोहन पी० कनय के निर्देशानुसार व पुलिस अधीक्षक नगर श्री विवेक त्रिपाठी एवं क्षेत्राधिकारी टहरौली श्री विवेक कुमार सिंह के निकट पर्वेक्षण मे अपराध ,अवैध शराब व अवैश शराब के विक्री मे चलाये जा रहे अभियान के तहत

दिनांक 29.05.2021 को थाना उल्दन पुलिस द्वारा थाना क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर दबिश देकर शराब विक्रय से सम्बन्धित सदउपयोगों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही निम्न प्रकार है।

1. अभियुक्ता श्रीमती सीमा पत्नी मुकेश कुमार निवासी बंगराधवा थाना उल्दन जिला झांसी के कब्जे 30 लीटर नाजायज शराब व करीब 200 लीटर लहन नष्ट करने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 73/2021 धारा के 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में अभियुक्ता उपरोक्त को चौकी प्रभारी उ0नि0 अनुपम मिश्रा व हे0का020 धर्मवीर व म0का01589 सीमा के द्वारा पावर हाऊस से 10 कदम आगे ग्राम पलरा में गिरफ्तार किया गया।

2. अभियुक्ता श्रीमती मैना देवी पत्नी राधेलाल निवासी पृथ्वीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झांसी के कब्जे 50 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होने के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 74/2021 धारा के 60 आबकारी अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग में अभियुक्ता उपरोक्त को प्रभारी उ0नि0 रामकिशन व का01467 शिवम कुमार व का0907 अनिल कुमार व म0का01931 सुशीला के द्वारा सनौरा के तरफ जाने वाली रोड बहद ग्राम सनौरा में गिरफ्तार किया गया।

3. आज दिनांक 29.05.2021 ग्राम नौटा में 1. गंगा प्रसाद पुत्र मातादीन उम्र करीब 55 वर्ष 2. मुन्ना उर्फ हीरालाल पुत्र मतोले उम्र करीब 50 वर्ष नि0गण नौटा थाना उल्दन जिला झांसी उम्र करीब 50 दोनों व्यक्ति शराब पीकर गाली गलौज कर रहे थे जिनको मौके उ0नि0 कुलवन्त मय हमराह का0298 रविशंकर द्वारा समझाया गया जो नहीं माने जिनको समय करीब 11.05 बजे गिरफ्तार कर धारा 151/107/116 द0प्र0सं0 में माननीय न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त/अभियुक्ता का विवरण

1. श्रीमती सीमा पत्नी मुकेश निवासी बंगरा धवा थाना उल्दन जिला झांसी।
2. अभियुक्ता श्रीमती मैना देवी पत्नी राधेलाल निवासी पृथ्वीपुर थाना मऊरानीपुर जिला झांसी
3. 1. गंगा प्रसाद पुत्र मातादीन उम्र करीब 55 वर्ष 2. मुन्ना उर्फ हीरालाल पुत्र मतोले उम्र करीब 50 वर्ष नि0गण नौटा थाना उल्दन जिला झांसी उम्र करीब 50

आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 73/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना उल्दन जिला झांसी
2. मु0अ0सं0 74/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना उल्दन जिला झांसी

गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. प्रभारी उ0नि0 रामकिशन थाना उल्दन जिला झांसी
2. चौकी प्रभारी उ0नि0 अनुपम मिश्रा चौकी बंगरा थाना उल्दन जनपद झांसी
3. उ0नि0 कुलवन्त कुमार थाना उल्दन जिला झांसी
4. हे0का020 धर्मवीर सिंह थाना उल्दन जिला झांसी

- 5.का0907 अनिल कुमार थाना उल्दन जिला झांसी
- 6.का0298 रविशंकर तिवारी थाना उल्दन जिला झांसी
- 7.का01467 शिवम कुमार थाना उल्दन जिला झांसी
- 8.म0का01589 सीमा थाना उल्दन जिला झांसी
- 9.म0का01931 सुशीला थाना उल्दन जिला झांसी

बरामदगी का विवरण

1. अभियुक्ता के कब्जे से एक के में 30 लीटर नाजायज शराब बरामद होना
2. अभियुक्ता के कब्जे से 50 लीटर नाजायज कच्ची शराब बरामद होना